

(32)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 डीडीएमए/कोविड/2020/32

दिनांक 08.04.2020

आदेश

आदेश सं0 डीडीएमए/सीओवीआईडी/2020/1/28 दिनांक 07.04.2020 के क्रम में यह निर्देश दिया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट और समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त दिल्ली में भी उचित दर दुकानों और अन्य चैनलों के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा वितरित किए जा रहे सूखे राशन से संबंधित मामलों को भी देखेंगे।

इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिल्ली पुलिस के नोडल अधिकारियों को दिनांक 07.04.2020 के आदेशों के अनुपालन में नियुक्त किया गया है, जो पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के संतोषजनक समाधान के लिए संबंधित इंसीटेंड कमांडर के समन्वय के साथ सूखे राशन के वितरण के संबंध में विभिन्न पुलिस चौकियों जैसे हेल्पलाइन/पीसीआर/बीट पुलिसिंग सिस्टम/पुलिस स्टेशन/चौकी/विशेष शाखा इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनुरोधों/मांगों या शिकायतों के बारे में जानकारी भी एकत्रित करेंगे।

सूखे राशन के वितरण से संबंधित शिकायतें जिनका हल नहीं निकला है और उन पर फीडबैक जानकारी जिला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकों में विचारार्थ रखी जायें।

यह आदेश 14.04.2020 की मध्य रात्रि तक मान्य रहेगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला डीसीपी, दिल्ली पुलिस।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. प्रधान सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. समस्त सदस्य, राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए।
6. मंडलीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
8. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।